

बिल का सारांश

आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान बिल, 2020

- आयुष राज्यमंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने 10 फरवरी, 2020 को लोकसभा में आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान बिल, 2020 पेश किया। बिल तीन आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर एक संस्थान- आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान बनाने का प्रयास करता है। बिल इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है।
- विलय:** जिन मौजूदा संस्थानों का विलय किया जाएगा, वे हैं: (i) स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर, (ii) श्री गुलाब कुंवर बा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर, और (iii) भारतीय आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स विज्ञान संस्थान, जामनगर। प्रस्तावित संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के परिसर में स्थित होगा।
- संस्थान का संयोजन:** बिल के अनुसार, संस्थान में 15 सदस्य होंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आयुष मंत्री, (ii) आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद सचिव एवं तकनीकी प्रमुख, (iii) गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव, (iv) संस्थान के निदेशक, (v) केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, (vi) आयुर्वेद शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के तीन विशेषज्ञ, और (vii) तीन संसद सदस्य। जामनगर के स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक संस्थान के पहले निदेशक के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बिल कहता है कि संस्थान की एक गवर्निंग बॉडी होगी जोकि संस्थान की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी और निर्दिष्ट तरीके से कार्य करेगी।
- संस्थान का उद्देश्य:** बिल के अनुसार, संस्थान का निम्नलिखित उद्देश्य होगा: (i) आयुर्वेद और फार्मसी की मेडिकल शिक्षा में शिक्षण के पैटर्न विकसित करना, (ii) आयुर्वेद की सभी शाखाओं में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षण केंद्रों को एक साथ लाना, (iii) आयुर्वेद की पोस्टग्रेजुएट शिक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करना ताकि इस क्षेत्र में विशेषज्ञों और मेडिकल शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, और (iv) आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान करना।
- संस्थान के कार्य:** संस्थान के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आयुर्वेद की स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा (फार्मसी सहित) का प्रावधान, (ii) आयुर्वेद में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और करिकुलम निर्दिष्ट करना, (iii) आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना, (iv) आयुर्वेद और फार्मसी में परीक्षाएं संचालित करना, डिग्री, डिप्लोमा और दूसरे डिस्टिंक्शंस और टाइटिल देना, और (v) आयुर्वेद के सपोर्टिंग स्टाफ जैसे नर्सों के लिए उत्तम दर्जे के कॉलेज और अस्पताल चलाना।
- संस्थान का फंड:** बिल में प्रावधान है कि अपने खर्चों के पूरा करने के लिए संस्थान एक फंड बनाएगा। इसमें केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि, जैसे फीस और अन्य शुल्क जमा होंगे। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संस्थान के खातों का ऑडिट करेगा।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।